न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 01/08

तारीख दायर :– 11/01/2019

उनवान

1. बसन्तीलाल पुत्र ग्यारसीलाल जाति ब्राहमण निवासी भीकमपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

–वादी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय अलवर जिला अलवर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू स्वामी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

– प्रतिवादीगण।

॥ राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत ॥

उपस्थिति :–

1. श्री रामकरण चौपडा एडवोकेट वादी।
2. श्री कोई उपस्थित नही प्रतिवादीगण।

न्यायालय द्वारा :–

निर्णय दिनांक:– 19/02/2019

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाकै ग्राम भीकमपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में हाल आराजी खसरा नमबर 514 रकबा 1.26 हैक्टर स्थित चली आती है। जो आराजी दावा हाजा में विवादित बयान की गयी है।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त हाल आराजी खसरा नमबर 514 रकाब 1.26 हैक्टर का साबिक खसरा नम्बर 481 मिन रकबा 05 बीघा से बना है। जैसा कि मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060 से प्रमाणित होता है।

उपरोक्त विवादित आराजी वादी को सरकार द्वारा दिनांक 30.05.81 को आवंटन की गयी थी जिसका गैरखातेदारी इन्तकाल संख्या 72 दिनांक 30.05.81 को वादी के नाम दर्ज मजूंर हो चुका है वादी अपनी विवादित आराजी पर बरोज आंवटन से काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करता आ रहा है। आज भी मौके पर वादी का कब्जा काश्त गैरखातेदारी का मौजूद है।

विवादित आराजी पर वादी स्वयं 38 साल से अधिक समय से इस आराजी का गैरखोदार काश्तकार चला आता है। वादी इस आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहा है। मौके पर आज भी वादी का उक्तानुसार कब्जा काश्त गैर खातेदारी का मौजूद है। साबिक रिकार्ड जमाबन्दी में भी वादी का नाम गैरखातेदारी में दर्ज चला आता है।

विवादित आराजी के साबिक रिकार्ड में सन 1981 से पहले वादी के नाम गैरखातेदारी में दर्ज चला आता है। वर्तमान रिकार्ड मे भी विवादित आराजी का रिकार्ड वादी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज चली आती है। विवादित आराजी वादी के नाम सम्वत 2036 से पहले से गैरखातेदारी में दर्ज चली आती है।

विवादित आराजी के वादी को कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। क्योकि 12 साल से अधिक समय तक गैरखातेदार रहने के बाद स्वत ही खातेदारी हकूक प्राप्त हो जाते है। तो वादी उक्त विवादित आराजी पर करीब 38 साल से अधिक समय से यानि सम्वत 2036 से गैरखातेदार काश्तकार चला आता है। उपरोक्त आराजी की बाबत जो इन्द्राज हाल एवं साबिक रिकार्ड जमाबन्दी में वादी के नाम गैरखातेदारी में दर्ज चला आता है। जो इन्द्राज कतई गलत खिलाफ कानून व मौका है। एव वादी के हकूको के मुकाबिले बातिल वो बेअसर नाकाबिल पाबन्दी है। जिस गलत इनद्राज को वादी कलमजन कराकर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है। जिस हेतु यह वाद पत्र पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम गैरखातेदार दर्ज रहने से वादी के हकूक जायल हो रहे है तथा वादी को आवश्यक सुविधाओ ऋण आदि से वंचित रहना पड रहा है तथा मुन्तकिली आदि से वंचित रहना पड रहा है। जिससे वादी को बडा भारी नापूर्ति होने वाला नुकसान होने की सम्भावना बनी हुई है। वादी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति है जिनको कानून की जानकारी नही है। वादी इसी विश्वास में रहा कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम बतौर खातेदारी में दर्ज होगा। लेकिन दिनांक 01.12.2018 को जब वादी पटवारी हल्का से रिकार्ड की नकल लेने गये तो पटवारी हल्का के द्वारा बताये जाने पर गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। जिस पर वादी ने दिनांक 04.01.2019 को प्रतिवादीगण को खातेदारी हकूक प्रदान करने हेतु दो माह की अवधि का दफा 80 जा.दी. का नोटिस दिया। किन्तु अभी तक प्रतिवादीगण ने वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये। प्रतिवादीगण अज खुद वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान नही करते है। इसलिये वादी जर्ये अदालत उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। जिस हेतु यह वाद पत्र पेश है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। उनके विरूद्ध इकतर्फा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा बहस के दौरान स्पष्ट किया गया कि विवादित आराजी वादी को दिनांक 18.12.78 को आवंटन की गई थी। जिसका इन्तकाल गैर खातेदारी संख्या 72 दिनांक 30.05.81 को दर्ज होकर मन्जूर किया गया है तब से वादी गैरखातेदार दर्ज चला आ रहा है और मौके पर काश्त करता चला आ रहा है। अब वादी अपनी आवंटन शुदा आराजी की गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करना चाहता है। अतः वादी को गैर खातेदार से खातेदार घोषित करने एवं दावा डिक्री करने का अनुरोध किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध नकल इन्तकाल संख्या 72 दिनांक 30.05.81 के अनुसार विवादित आराजी मुताबिक पटटा दिनांक 18.12.78 के अुनसार आवंटन की गई है। उक्त

Scanned by CamScanner

गैर खातेदारी इन्तकाल का अमल हाल जमाबन्दी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 195 वाकै ग्राम भीकमपुरा पर दर्ज होकर बदस्तूर चला आ रहा है। अब वादी अपनी आवंटनशुदा गैर खातेदारी आराजी की खातेदारी प्राप्त करना चहता है। वादी को दस्तावेजी सबूतो के आधार पर विवादित आराजी आवंटन होना प्रमाणित है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य व सबूतों के आधार पर दावा वादी डिक्री योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा वादी को आवंटन शुदा आराजी खसरा नम्बर साबिक 481 मिन रकबा 5 बीघा हाल खसरा नम्बर 514 रकबा 1.26 है0 वाकै ग्राम भीकमपुरा का गैरखातेदार से खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दारामद हो। उक्त रकबा पर दर्ज हाल इन्द्राज गैर खातेदारी कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/02/2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

कैलाश चन्द्र शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी

Scanned by CamScanner